2022/313

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री हरीराम राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी तंवरी वाया कालन्द्री जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 44 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 05.04.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही के पत्र क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1698–1700 दिनांक 29.04.2021 के सम्बन्ध में की गई सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोंही को दिनांक 05.04.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही के पत्र क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1698–1700 दिनांक 29.04.2021 के सम्बन्ध में की गई सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / लो.सू.अ. / रेकर्ड / 2022 / 319 दिनांक 09.06.2022 के द्वारा अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही** Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2023.03.01 13:32:49 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner